

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ./ 109 /2019

दिनांक :30.11.2019

डॉ. मनोज जोशी (RJ0551), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-04, जोधपुर महानगर को दिनांक 02.12.2019 से 21.12.2019 तक 20 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) स्वीकृत किया जाता है ।

श्रीमती श्वेता शर्मा (RJ0492), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-05, जोधपुर महानगर को डॉ. मनोज जोशी के उक्त अवकाश अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-04, जोधपुर महानगर के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित / नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

- (1) ऐसे प्रकरणों, जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है और उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित हैं, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे ।
- (2) श्रीमती श्वेता शर्मा (RJ0492), जिनको अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-04, जोधपुर महानगर के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है ।

आज्ञा से




रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/10/2008/ 11563

दिनांक 30.11.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर को उनके पत्रांक 12901 दिनांक 25.11.2019 के सन्दर्भ में ।
3. डॉ. मनोज जोशी (RJ0551), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-04, जोधपुर महानगर ।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-04, जोधपुर महानगर ।
5. श्रीमती श्वेता शर्मा (RJ0492), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-05, जोधपुर महानगर ।
6. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-05, जोधपुर महानगर ।
7. संबंधित कोषालय ।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर ।


30.11.2019
सहायक रजिस्ट्रार